



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4988

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 43427 वर्ष 2025

सानू उर्फ अरशद

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : आभास शर्मा, राजेश कुमार शर्मा

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. श्री आभास शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से, तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, विद्वान राज्य विधि अधिकारी की सुनवाई की गई एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 460 वर्ष 2024, धाराएँ 115(2), 3(5), 109, 352, 103(1) बीएनएस, थाना - लोनी, जिला - गाजियाबाद, के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त सलमान को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 5.1.2026 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 45322 वर्ष 2025 में पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूँकि आवेदक का प्रकरण उस सह-अभियुक्त के समतुल्य है जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने का अधिकारी है।



5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि आवेदक दिनांक 21.9.2024 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
6. जमानत की प्रार्थना का विद्वान राज्य विधि अधिकारी द्वारा कड़ा विरोध किया गया। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता तथा आवेदक के कोई आपराधिक इतिहास न होने के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं को उनके द्वारा विवादित नहीं किया गया।
7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नब्बन खां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 आपराधिक एल.जे. 938** में पारित निर्णय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा **पारस राम विष्णोई बनाम निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीओआर/22410/2021** तथा **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर **स्वीकार** किया जाता है।
8. आवेदक - **सानू उर्फ अरशद**, जो उपर्युक्त अपराध मामले में संलिप्त है, को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा प्रत्येक समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाये।
 - i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों को दबाव में नहीं लायेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होगा।
9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

8 जनवरी, 2026

सिद्धान्त

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।